न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/279/2013

उनवान

1. श्री काना पिता छोगा कुम्हार निवासी सांगरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 183/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री पुनीत शर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगरिया तहसील शाहपुरा की साबिक आराजी नम्बर 519 रकबा 292 बीघा 8बिस्वा व आ0नं0 396/2 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि वादी को आवंटित की जाकर नामान्तरकरण संख्या 650 से आ0नं0 519 में से 1.04 बीघा व आ0नं0 396/2 में से 3.16 बीघा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाकर मौके पर वादी को कब्जा कराया गया। उक्त आराजीयात एक ही चक में होकर सांगरिया से गुढा जाने वाले रास्ते के पश्चिम दिशा में स्थित है। आवंटन के पश्चात वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के नाम पर आ0नं0 2167/519 रकबा 1.04 बीघा व 396/2 रकबा 3.16 बीघा वादी के नाम दर्ज हुई। जिस पर वादी का कब्जा हो काश्त करता आ रहा है। साबिक आ0नं0 2167/519 के नये नम्बर 812 रकबा 0.53 है0, आ0नं0 813 रकबा 0.40 है0, आ0नं0 814 रकबा 0.25 है0 बने व साबिक आ0नं0 396/2 के नये नम्बर 418 रकबा 0.80 है0, आ0नं0 796 रकबा 0.78 है0 बने हैं।

2. यह कि नवीन आराजी नम्बर 812, 813, 814 व 796, 418 को राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज कर दो टुकड़ों में विभक्त कर आ0नं0 812, 813, 814 को अलग दूर स्थान पर नक्शे में इन्द्राज कर दिया व आ0नं0 796, 418 को वादी के नाम दर्ज नहीं होकर बिलानाम दर्ज कर दी। आ0नं0 796 व 418 बिलानाम दर्ज होने से प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखल करने पर आमादा है।

3. अतः साबिक आ0नं0 2167/519 एवं 396/2 रकबा 5.00 बीघा की स्थिति अनुसार नवीन आराजी नम्बर 812,813,814 एवं 418, 796 को एक ही चक में सांगरिया से गुढा जाने वाले रास्ते पश्चिम दिशा में नक्शे में इन्द्राज दुरूस्त कराने एवं आ0नं0 418, 796 को बिलानाम से दुरूस्त करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है।

4. यह कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी वादी को उक्त गलत अंकन की आड में वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे व वादी को शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा हस्तक्षेप नहीं करे व उक्त भूमि बिलानाम दर्ज होने से किसी अन्य को आवंटित/नियमन आदि नहीं करे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 07.10.2013 को पेश नकल दिनांक 08.10.2013 को प्राप्त की इसके पश्चात अपीलार्थी टाईफाईड की बिमारी से पीड़ित हो गया व चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहा न ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सका। हाल ही में स्वास्थ्य में सुधार होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब यह अपील पेश है। नकल प्राप्त होने की दिनांक व दिनांक 07.12.2013 का शनिवार का अवकाश होने व दिनांक 08.12.2013 का रविवार का अवकाश होने से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि मौजा सांगरिया की साबिक आराजी नम्बर 519 रकबा 292 बीघा 8बिस्वा व आ0नं0 396/2 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि वादी को आवंटित की गई थी जो नामान्तरकरण संख्या 650 से आ0नं0 519 में से 1.04 बीघा व आ0नं0 396/2 में से 3.16 बीघा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाकर मौके पर वादी को कब्जा कराया गया। आवंटित साबिक आ0नं0 519 के 1.04 बीघा के बटा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 2167/519 एवं आ0नं0 396/2 में से 3.16 बीघा के बटा नम्बर 396/2 अपीलार्थी काना वल्द छोगा के नाम दर्ज की गई जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में दर्ज हुई। अपीलार्थी को मौके पर उक्त आवंटित रकबे पर कब्जा दिया । सम्वत् 2004 सन्1947 ई.के साबिक नक्शा ट्रेश की प्रमाणित फोटो प्रति ,नामान्तरकरण एवं नकल जमाबन्दी प्रस्तुत कर अपीलार्थी ने अपने आवंटन एवं कब्जे को सिद्ध कराया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी को आवंटित साबिक आ0नं0 2167/519 से हाल आ0नं0 812 रकबा 0.53 है0, आ0नं0 813 रकबा 0.40 है0, आ0नं0 814 रकबा 0.25 है0 बने व साबिक आ0नं0 396/2 के नये नम्बर 418 रकबा 0.80 है0, आ0नं0 796 रकबा 0.78 है0 बने हैं जिन्हें मौके पर नक्शा ट्रेश में अलग–अलग दो टुकड़ों में दूर –दूर इन्द्राज कर दिया जबकि मौके पर एक चक में अपीलार्थी/वादी को आवंटित भूमि का कब्जा सौंपा गया था उसी अनुसार काबिज हो काश्त करता आ रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आ0नं0 418 व 796 को बिलानाम दर्ज कर दिया व आ0नं0 812, 813, 814 को अपीलार्थी/वादी के नाम दर्ज कर दी इसकी ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 एवं हाल नक्शा ट्रेश की प्रति प्रस्तुत कर कब्जे को सिद्ध कराया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

10. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी/वादी को सन् 1969 में 5.00 बीघा भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवंटित हुई जिसका नामान्तरकरण संख्या 650 सन् 1971 में निर्णित हुआ जिसके आधार पर अपीलार्थी/वादी के नाम पर खाते में दर्ज हुई। परन्तु अपीलार्थी/वादी को आवंटित आराजीयात में किस स्थान पर कब्जा सौंपा गया तत्समय का कोई कब्जा सिपुर्दगीनामा एवं नक्शा ट्रेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होता है । अपीलार्थी/वादी को 5.00 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसका हाल रकबे अनुसार कुल 1.26 हैक्टर बनता है जिसके मुकाबले अपीलार्थी/वादी के नाम पर 1.18 हैक्टर खातेदारी से दर्ज होकर हाल नक्शा ट्रेश में इन्द्राज है जो सही है। अपीलार्थी बिलानाम आ0नं0 418 व 796 में से आ0नं0 418 पर अपना कब्जा बता इस अनुसार नक्शा ट्रेश में इन्द्राज दुरूस्त करा खातेदारी घोषणा चाहता है जिसे अधिनस्थ न्यायालय में सिद्ध नहीं कराया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित होने से अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

11. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रेकार्ड का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 650 में आवंटित साबिक आ0नं0 519 के 1.04 बीघा के बटा नम्बर 2167/519 एवं आ0नं0 396/2 में से 3.16 बीघा के बटा नम्बर 396/2 बने जो अपीलार्थी काना वल्द छोगा के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्ज की गई जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में अंकित है। साबिक आ0नं0 2167/519 रकबा 1.04 बीघा के नवीन नम्बर 812 रकबा 0.53 है0, आ0नं0 813 रकबा 0.40 है0, आ0नं0 814 रकबा 0.25 है0 कुल कीता 3 कुल रकबा 1.18 है0 बनना खसरा भू प्रबन्ध सम्वत् 2044 प्रदर्श–पी12 एवं मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–पी5 से स्पष्ट होता है जो कि अपीलार्थी/वादी श्री काना पिता छोगा कुम्हार सा0देह खातेदार बी.आर.जी.बी.शाखा सांगरिया के रहन दर्ज होने का इन्द्राज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 67 में अंकित है। इसी प्रकार हाल आ0नं0 796 रकबा 0.78 है0साबिक आ0नं0 396/2मी , 404मी व 519मी व 2166/519 मी से मिलकर बनना खसरा भूप्रबन्ध प्रदर्श–पी11 एवं मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–पी5 से स्पष्ट होता है। साबिक आ0नं0 396/2 के हाल नम्बर 417 रकबा 0. 87 है0 व 418 रकबा 0.80 हैक्टर 419, 420 रकबा 0.72 हैक्टर बनना खसरा भूप्रबन्ध सम्वत् 2044 प्रदर्श–पी13 एवं मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–पी 4 से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी को वक्त आवंटन आवंटित आ0नं0 519 एवं 396/2 में किस स्थान पर कितने रकबे पर कब्जा दिया उस नक्शे की प्रति एवं कब्जा सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत नहीं किया जबकि साबिक आ0नं0 519 का रकबा 292.08 बीघा एवं आ0नं0 396/2 का रकबा 19.10 बीघा है। जबकि अपीलार्थी/वादी को साबिक आ0नं0 519 में 1.04 बीघा व आ0नं0 396/2 में 3.16 बीघा भूमि का आवंटन होना नामान्तरकरण से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी के खाते में 1.18 हैक्टर भूमि खातेदारी से दर्ज है जिसे अपीलार्थी ने बी. आर.जी.बी.शाखा सांगरिया के रहन रखी हुई है जिसका इन्द्राज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 67 में है। परन्तु अपीलार्थी आ0नं0 812, 813, 814 के साथ आ0नं0 796 व 418 को एक चक में नक्शे में तरमीम कराना चाहता है। आराजी नम्बर 796 व 418 पर अपीलार्थी अपना कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। अपीलार्थी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम पर आ0नं0 812,813,814 खाते में दर्ज है जिसे बैंक के रहन रखा गया । आराजी नम्बर 796 व 418 अपीलार्थी के खाते में दर्ज आराजीयात से काफी दूरी पर अंकित है जो नक्शा ट्रेस से स्पष्ट होता है । इस प्रकार अपीलार्थी/वादी आराजी नम्बर 796 व 418 पर अपने कब्जा काश्त को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है जिससे तनकी नम्बर 1 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं पाते हैं।

13. अपीलार्थी आ0नं0 418 व 796 जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 67 में बिलानाम सरकार दर्ज है जिसे अपने नाम पर खातेदारी से दर्ज करा इसी अनुसार नक्शे में इन्द्राज चाहता है जबकि हाल आ0नं0 417 साबिक आ0नं0 396/2 तथा हाल आ0नं0 796,798, 418,419 व 420 साबिक आ0नं0 396/2,404मी, 519मी से मिलकर बनना मिलान खसरा भूप्रबन्ध से स्पष्ट होता है इन नम्बरों में से किस नम्बर के कितने रकबे पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त है सिद्ध नहीं करा पाया है। जबकि साबिक आ0नं0 2167/519 से हाल आ0नं0 812, 813 व 814 बने हैं जो कि वादी/अपीलार्थी के नाम पर खातेदारी से दर्ज होकर बैंक के रहन रखा जाना नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी को साबिक आ0नं0 519 एवं 396/2 में से हुए 5 बीघा आवंटन पर वक्त आवंटन किस स्थान पर कब्जा दिया उस नक्शा ट्रेस की प्रति एवं सिपुर्दगीनामा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया । अपीलार्थी का वाद इसी बिन्दु पर आधारित है कि वक्त आवंटन उन्हें एक अविभाजित आवण्टन 5 बीघा का किया गया था जिसके साबिक आ0नं0 2167/519 के साथ साथ साबिक आ0नं0 396/2 में से भी आवंटन हुआ था, परन्तु मिलान क्षैत्रफल अनुसार उनके हिस्से में दर्ज खसरा नम्बर 812, 813 व 814 के साबिक नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2167/519 लिखे हैं। वर्तमान में आवंटन क्षैत्रफल 5 बीघा के बराबर ही 1.18 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के खाते में दर्ज है, ऐसे में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साबिक ख0नं0 2167/519 में से बने खसरा नम्बर 812, 813, 814 का मिलान क्षैत्रफल यह स्पष्ट नहीं करता है कि साबिक खसरा नम्बर 519 व 396/2 के सम्पूर्ण हाल नम्बर क्या बने। इससे यह भी निष्कर्षित नहीं होता है कि खसरा नम्बर 812,813 व 814 रकबा 1.18 है0 सिर्फ साबिक आराजी नम्बर 519 से बना कर सेटलमेन्ट कार्मिकगण द्वारा कोई भूल की गई है। सिपुर्दगीनामें व साबिक ख0नं0 2167/519 के नक्शे की तरमीम के दस्तावेजों के अभाव में अपीलान्ट का पक्ष साबित नहीं हो पाता है। वाद को साबित करने का भार वादी पर था। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस क्रम में चार तनकीयात कायम कर विस्तृत आदेश पारित किया है। जिसमें विवेचन उपरान्त वाद वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया गया है। हम विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से सहमत हैं। वादी/ अपीलान्ट साक्ष्य/सबूतों से अपना पक्ष साबित नहीं कर सके हैं।

प्रकरण में निर्णय से पूर्व मौके की स्थिति के लिए न्यायालय हाजा के द्वारा तहसीलदार फूलियाकला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर अपीलार्थी के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि एवं वादग्रस्त आराजीयात की मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक 2034 दिनांक 24.09.2018 से चाही गई। तहसीलदार फलियाकलां के पत्रांक 829 दिनांक 12.12.2018 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी/वादी उक्त पत्र के साथ संलग्न पर्चा मौका दिनांक 02.11.2018 जो कि पटवारी हल्का सांगरिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किया गया जिस पर अपीलार्थी काना पिता छोगा कुम्हार स्वयं के भी हस्ताक्षर है। पर्चा मौका में हाल आराजी नम्बर 417 व 418 का मौका देखा गया। उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। आ0नं0 417 रकबा 0.87 है0

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किस्म बीड़ पर व आ0नं0 418 रकबा 0.80 है0 किस्म बीड़ में से 0.58 है0 कुल 1.45 है0 भूमि पर काना पिता छोगा कुम्हार सा0 सांगरिया का कब्जा काश्त है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में काना पिता छोगा कुम्हार के नाम आ0नं0 812 रकबा 0.53 है, आ0नं0 813 रकबा 0.40 है0 व आ0नं0 814 रकबा 0.25 है0 कुल कीता 3 कुल रकबा 1.18 है0 खातेदारी हक से दर्ज है परन्तु काना के नाम दर्ज उक्त आ0नं0 812,813, 814 किता 3 रकबा 1.18 है0 पर विजयलाल पिता गंगाराम दरोगा का कब्जा काश्त है। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि से भिन्न आराजी नम्बर 417 व 418 पर कब्जा काश्त है, तथा अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना भी मौका रिपोर्ट से प्रकट आया है, परन्तु अपीलान्ट साक्ष्य सबूतों से खसरा नम्बर 417 व 418 पर आवंटन अधिकार साबित नहीं कर सके हैं। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आ0नं0 812, 813 व 814 पर आवंटन उपरान्त सद्भावी काश्तकार होने वर्तमान में कब्जेधारी को बेदखल करने बाबत कोई निर्णयन दौराने अपील नहीं किया जाना है बल्कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद व दायर अपील के विधिक रूप से स्वीकार योग्य होने बाबत निर्णयन ही अपील निर्णय में किया जाना है। अपीलार्थी/वादी आ0नं0 418 व 796 को स्वयं के नाम पर खातेदारी से दर्ज आ0नं0 812,813,814 के साथ नक्शे में एक चक में इन्द्राज कराना चाहता है जबकि पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि आ0नं0 418 व 796 रास्ते के पश्चिम में दर्ज है तथा आ0नं0 812,813,814 पूर्व में दर्ज है। इस प्रकार अपीलार्थी को साबिक आ0नं0 2167/519 व 396/2 में हुए 5.00 बीघा भूमि के वक्त आवंटन नक्शा एवं कब्जा सिपुर्दगीनामा से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे अपीलार्थी आवंटित 5.00 बीघा भूमि की नक्शे में तरमीम व खातेदारी के सम्बन्ध में अपील को पूर्णतया सिद्ध कराने में असफल रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री उचित होने से इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं पाते हैं।

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/279/2013

उनवान

1. श्री काना पिता छोगा कुम्हार निवासी सांगरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण
संख्या 183/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2013

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/279/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 20.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री पुनीत शर्मा एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 20.09.2019 को सुनवाई के लिये उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस